न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 119/17 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. आसिया पत्नि सुबेखां जाति मेव निवासी ग्राम चावण्डी खुर्द तहसील तिजारा जिला अलवर

:---- अपीलांट

बनाम

1 अतुल गुप्ता पुत्र देविन्द्र कुमार गुप्ता जाति महाजन निवासी फ्लेट नम्बर 101 एवलेन हाईटर्स सेक्टर – 47, गुडगांवा तहसील व जिला गुडगांवा हरियाणा

2 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार तिजारा

:--- असल रेस्पो0

3 अयूब पुत्र जुहरू जाति मेव निवासी ग्राम चावण्डी खुर्द तहसील तिजारा जिला अलवर

:---- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, तिजारा दिनांक 5.6.2017

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील असल रेस्पो0 :– श्री प्रेम कुमार शर्मा

निर्णय दिनांक 15.1.2019

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी , तिजारा द्वारा राजस्व वाद संख्या 84/15 में पारित निर्णय दिनांक 5.6.2017 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 आर0 टी0 एक्ट प्राथमिक तौर पर डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा खसरा नम्बर हाल 41 रकबा 53 एयर, 75 रकबा 23 एयर, 76 रकबा 16 एयर, 77 रकबा 3 एयर, 78 रकबा 01 एयर वाके ग्राम चावण्डी खुर्द तहसील तिजारा विवादित है और पक्षकारान के संयुक्त खाते की आराजीयात है । आराजी खसरा नम्बर 41 में वादी का 61/72 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/18 भाग व प्रतिवादी संख्या 3 का 7/72 भाग, खसरा नम्बर 75 में वादी का 19/24 भाग, प्रतिवादी संख्या 01 का 5/24 भाग, खसरा नम्बर 76 में वादी का 8/9 भाग व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/9 भाग, खसरा नम्बर 77 में वादी का 19/24 भाग व प्रतिवादी संख्या 01 का 5/24 भाग , खसरा नम्बर 78 में वादी का 19/24 भाग व प्रतिवादी संख्या 01 का 5/24 भाग है । सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्से के अनुसार काबिज है । इन विवादित आराजीयात का अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है । प्रतिवादीगण शामलात में खेती करने में वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत करते हैं । साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 आराजी का बटवारा कराये बिना ही अच्छी अच्छी आराजी को बेचान करने पर उतारू है । अतः निवेदन है कि वाद डिक्री किया जाकर आराजी का बंटवारा किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री कर बंटवारा स्कीम तैयार करने का आदेश पारित किया गया है, जिसके खिलाफ यह अपील है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट का तर्क है कि तहत न्यायालय में कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं थे । तहत न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प न्याय आपके द्वार, 2017 में मात्र आंकडे एकत्रित करने की नियत से अपना निर्णय पारित किया है । वाद में तारीख पेशी 10.7.2017 नियत थी । राजस्व लोक अदालत में पत्रावली नियत करने की कोई सूचना पक्षकारान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

को नहीं दी । और नियत दिनांक 10.7.17 से पूर्व की विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया । असल रेस्पो0 संख्या 01 से कोई साक्ष्य नहीं ली गई । प्रतिवादी अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया । विवादित आराजी का पूर्व में आपसी सहमति से बंटवारा हो चुका है । अपीलांट व असल रेस्पो0 वादी ने पूर्व से विभाजित आराजी को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है । आराजी अविभाजित नहीं है । मात्र राजस्व रेकार्ड में शामलात सह खातेदारान का अंकन हो रहा है । विवादित आराजी के सम्बन्ध में तहत न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णय दिनांक 24.9.15, अंतिम डिक्री दिनांक 29.9.15 व निर्णय दिनांक 10.11.15 पारित किये गये थे । उक्त निर्णयों के खिलाफ अपीलांट द्वारा अदालत श्रीमान में अपील संख्या 99/154 व 12/16 प्रस्तुत की , जो अदालत श्रीमान द्वारा निर्णय दिनांक 14.6.16 को पारित कर स्वीकार की गई और प्रकरणर रिमांड किया गया था । इसके खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में अपील विचाराधीन है । माननीय राजस्व मण्डल में अपील विचाराधीन होते हुये तहत न्यायालय ने मौजूदा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया है, जो विधिसम्मत नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि यह अपील प्राथमिक डिक्री के खिलाफ प्रस्तुत की गई है, जो चलने योग्य नहीं है । विवादित आराजी का पूर्व में कोई बंटवारा नहीं हुआ है । ये लोग तहत न्यायालय में उपस्थित हुये हैं । अपीलाधीन निर्णय विभाजन के नियमों के तहत पारित किया गया है । अगर इनको किसी प्रकार का कोई ऐतराज है तो ये तहत न्यायालय में अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं । प्राथमिक डिक्री के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने का कोई इनको कोई राईट नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रकरण में अभी प्राथमिक डिक्री पारित की गई है और कुर्रेजात रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिये गये हैं । प्रकरण में अभी पक्षकारान की मौजूदगी में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार होनी है और इसके बाद तहत न्यायालय द्वारा पक्षकारान की आपत्तियां आमंत्रित की जानी है । अगर अपीलांट को किसी प्रकार की आपत्ति है तो तहत न्यायालय में प्रस्तुत करें । ऐसी स्थिति में हम अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

आवश्यकता नहीं समझते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 5.6.17 यथावत रखे जाते हैं तथा तहत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर तिजारा को यह निर्देशित किया जाता है कि दौरान कुरेजात दोनों पक्षों की तलबी/उपस्थिति सुनिश्चित करें ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner